न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अम्बेडकर नगर।

उपस्थितः—राम विलास सिंह, 'उच्चतर न्यायिक सेवा'

UPAN010007542024

Sessions Case/69/2024

सरकार ....अभियोजन

बनाम

1. रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे आयु लगभग—45 वर्ष पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या।

2. सूर्यभान उर्फ डब्लू आयु लगभग—22 वर्ष पुत्र रामउजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर, थाना—गोशाईगंज,जनपद अयोध्या।

मुकदमा अपराध संख्याः—196 / 2023
धारा—380,411,413 भा0दं0सं0
थाना—अहिरौली
जिला—अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** व **सूर्यभान उर्फ डब्लू** का विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद में पुलिस थाना—अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र मु0अ0सं0—196 / 2023 अंतर्गत धारा—380,411,413 भा.द.सं. के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी निशात फात्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रोहनपारा शिक्षा क्षेत्र भीटी, अम्बेडकरनगर द्वारा थानाध्यक्ष अहिराली को इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना अहिरौली जनपद—अम्बेडकरनगर विषयः— प्राथमिक विद्यालय रोहनपारा भीटी अम्बेडकरनगर में हुई चोरी की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय, सादर अवगत कराना है, कि दिनांक 1.08.2023 को प्रातः 7 बजकर 45 मिनट पर जब मैने विद्यालय का ताला खोला, तो अंदर आने के बाद देखती हूँ कि कक्षा 1 व 2 तथा किचन व स्टोर का ताला टूटा एवं कुण्डी कटी हुई है, जिसे देखने पर पता चला कि कक्षा 1 व 2 में लगे पंखे व उसमें लगा समर

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.06.30 13:02:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सेवल पम्प का स्टार्टर व गैस सिलिण्डर तथा स्टोर में रखा एक बोरा, चावल, एकबोरा गेहूँ, तराजू, बाट, छोटा भगौना व कुछ छोटे बर्तन अजात चोर उठा ले गये जिसकी सूचना मैने डयल 112 पर दी तत्पश्चात डयल 112 का स्टफ मौके का मुआयना करके गये है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरो के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. उपर्युक्त तहरीर के आधार पर थाना अहिरौली पर मु0अ0सं0 196/2023, धारा–380 भा0दं0सं0 के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि संख्या–035 दिनांक 10.08.2023 को समय 17:05 बजे किता की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया, फर्द बरामदगी व गिरफतारी तथा विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण **रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे व सूर्यभान उर्फ डब्लू** के विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–ए–245/2023 मु0अ0सं0 196/2023 अन्तर्गत धारा–380 411,413 भा0दं0सं0 विचारण हेतु प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 18.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक–25.01.2024 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.06.2024 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर द्वारा धारा–380,411,413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप सृजित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया है:–

क्रम सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0 1	श्रीमती निशात फात्मा	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	प्रमोद खरवार उपनिरीक्षक	सामग्री साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	सुनील दत्त उपनिरीक्षक	पुलिस साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	हरिश्चन्द्र हे0कां0	प्राथमिकी साक्षी

5	पी0डब्लू0 5	रामसुमेर यादव उपनिरीक्षक	पुलिस साक्षी

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन प्रपत्र	**प्रदर्श**	**सिद्ध करने वाला साक्षी**
तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू. 1
फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू. 2
नक्शा नजरी फर्द बरामदगी स्थल	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू. 2
आरोप पत्र	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू. 2
नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू. 3
चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क–5ए	पी.डब्लू. 4
कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू.4

9. अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना कारित करने से इंकार किया तथा अभियुक्त सूर्यभान द्वारा यह कथन किया है कि प्रार्थी मजदूरी करने वाला बेहद गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे कि समाज एवं जनमानस पर कोई बुरा असर पड़ा हो। अभियुक्त रोहित गुप्ता द्वारा यह कथन किया गया कि मैं निर्दोष हूॅं। दुश्मनो के इशारे पर घर से पकड़ कर लाये, थाने में तीन दिन तक बैठाये रहे। फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठी फर्द तै।यार करके फर्जी तरह से बरामदगी दिखाते हुए भिन्न–भिन्न मुकदमें में फंसा दिये।

10. बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 16.06.2026 को आदेश पत्रक पर कोई सफाई साक्ष्य न देने का अंकन किया गया।

11. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया।

12. दण्ड न्याय शास्त्र का यह विधिक सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

13. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि दिनांक 01.08.2023 को समय 7.45 बजे प्रातः अभियुक्तगण द्वारा प्राथमिक विद्यालय रोहनपारा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के किचन व स्टोर का ताला तोड़कर पंखे,समर सेविल पम्प का स्टार्टर,गैस सिलेंडर, एक बोरा चावल,गेहूँ बर्तन आदि सामान चोरी किया तथा दिनांक 30.11.2023 को उक्त चोरी किये गये सामानों के विक्रय से बचे हुए रूपये अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ तथा चुराई गयी सम्पत्ति को चुनाई हुई जानते हुए उसका अभ्यासतः व्यापार किया। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो से घटना की पुष्टि होती है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

14. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय का आरोप विरचित किया गया है कि, दिनांक 01.08.2023 को समय 7.45 बजे प्रातः अभियुक्तगण द्वारा प्राथमिक विद्यालय रोहनपारा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के किचन व स्टोर का ताला तोड़कर पंखे,समर सेविल पम्प का स्टार्टर,गैस सिलेंडर, एक बोरा चावल,गेहूँ बर्तन आदि सामान चोरी किया तथा दिनांक 30.11.2023 को उक्त चोरी किये गये सामानों के विक्रय से बचे हुए रूपये अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ तथा चुराई गयी सम्पत्ति को चुनाई हुई जानते हुए उसका अभ्यासतः व्यापार किया।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

16. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 1 निशात फात्मा** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं दिनांक 01.08.2023 को उपरोक्त पद व स्थान पर कार्यरत थी। उस दिन जब मैं प्रातः उक्त विद्यालय में 07:45 पर पहुंची और गेट का ताला खोला तो देखा कि कक्षा 1 व कक्षा 2 तथा किचन व स्टोर का ताला टूटा हुआ था एवं दरवाजे की कुण्डी कटी हुई थी। कक्षा 1 व कक्षा 2 के कमरे में लगे पंखे व विद्यालय में लगा समर सेबल पंप का स्टाटर किचन में रखा गैस सिलेण्डर तथा स्टोर के कमरे रखा गया एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूँ, तराजू, बाट, भगौना व अन्य छोटे–छोटे बर्तन चोरी करके चोर उठा ले गये थे जिसकी सूचना मैंने तुरन्त 112 नम्बर की पुलिस को फोन करके बताया और थाने पर भी जाकर मौखिक रूप से सूचना दिया। थाने की पुलिस जांच करने के पश्चात् कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और कई दिनों तक मुझे थाने पर बुलाती रही तब मैंने आनलाइन शिकायत किया तब स्थानीय थाने की पुलिस मुझे बुलाई और प्रार्थना पत्र देने को कहा तब मैंने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में दिनांक 10.08.2023 को दिया जिस पर मेरी रिपोर्ट उसी दिन स्थानीय थाना अहिरौली, जनपद – अम्बेडकरनगर की पुलिस ने दर्ज किया। शामिल पत्रावली तहरीर कागज संख्या 4 अ/4 को साक्षी ने पुष्ट किया जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ किया था मैंने उन्हें घटना स्थल भी दिखाया था जिसके आधार पर विवेचक ने घटना स्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया था बाद में मुझे जानकारी हुई कि उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान ने मिलकर मेरे उक्त विद्यालय में चोरी किये थे। उक्त चोरों ने विद्यालय से चुराया गया सामान बेच दिया था उनके पास से सामान बेचने के पश्चात् जो रूपया मिला था उसी में से कुछ रूपया पुलिस वालों ने उपरोक्त मुल्जिमनों के पास से बरामद किया था।''

17. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 2 प्रमोद कुमार खरवार उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, '' मैं दिनांक 16.09.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था उस दिन थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, दिनांक 17.09.2023 को मैं

विवेचना में मशरूफ हुआ, उसी दिन पर्चा नं० 10 किता किया जिसमें विवेचना ग्रहण करने व पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया, दिनाक 18.10. 2023 को पर्चा नं० 11 व दिनांक 17.11.2023 को पर्चा नं० 12 में पतारसी–सुरागरसी किया, दिनांक 30.11.2023 को पर्चा नं० 13 किता किया, जिसमें फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास भी प्राप्त कर संलग्न सी०डी० किया तत्पश्चात् अभियुक्त रोहित गुप्ता व सूर्यभान का नियमानुसार बयान अंकित किया तथा न्यायालय से रिमाण्ड प्राप्त किया, दिनांक 30.11.2023 मैं अपने हमराहियों के साथ थाने की नकल रपट संख्या 03 समय 01:05 बजे थाने से खाना होकर रात्रि गस्त रोकथान जुर्म जरायम करते हुए यादव नगर तिराहे के पास पहुंच कर आपस में बात–चीत कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति अज्ञात एक मोटर साइकिल UP45 P 7571 Hero Honda Plus से बसोहरी पुल के उस पार दाहिने तरफ किनारे रूके है, तथा उनके पास चोरी करने का उपकरण प्लास रिच, सलाई रिंच व लोहे का सब्बल आदि रखे है, ऐसा लग रहा है कि कही चोरी करने की फिराक में है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इतमिनाम हो गये कि हम लोगों के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर अपने–अपने मोटर साइकिल से उसके बताये हुए रास्ते पर चलकर जैसे ही हम लोग बसोहरी पुल के पास पहुंचे तो मोटर साइकिल की रोशनी में पुल के उस पास खड़े दिखायी दिये, मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वहीं व्यक्ति है जो चोरी करने की योजना बना रहा है, हम पुलिस वालें अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर अचानक उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो एक ने कहा कि पुलिस आ गयी भागों कि एक बार दबिश देकर धेर मारकर बसोहरी पुल से मिझौड़ा मिल रोड़ पर 10–20 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो एक ने अपने नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी०जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जिसके पहले पैंट की फेट में एक अदद प्लास दाहिने जेब से 2150 रूपया बरामद हुआ, दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू उम्र 20 साल पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामा तलाशी के दौरान पहने हुए काली रंग के जाकेट के दाहिने जेब से सीसा काटने का औजार तथा एक अदद छोटा रिंच बरामद हुआ, तथा

दाहिने जेब से 1860 रूपया बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल UP45 P 7571 की डिग्गी की तलाशी से एक अदद सलाई रिंच 250 mm 10 नम्बर तथा 1 अदद सात अंगुल का सरिया जो छेनी की आकार का तथा करीब 1.5 फीट लोहे का सब्बल बरामद हुआ। गाड़ी का कागज व डी०एल० मागने पर दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम लोग गांव में तथा स्कूल आबादी व भीड़–भाड क्षेत्र तथा शादी आदि में मोटर साइकिल व अन्य सामान चोरी कर लेते है तथा चलते फिरते राहगिरों व अंजान व्यक्ति कबाडी फेरी लगाने वाले के हाथ बेच देते है तथा उससे जो पैसा मिलता है, हम लोग आपस में बराबर–बराबर बांटकर ले लेते है तथा उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते है व मौज मस्ती करते है। आप लोग हम लोगों को कुछ मत कीजिएगा, हम लोग जहां–जहां चोरी किये है सब बता देंगे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह मोटर साइकिल हम दोनों आदमी अन्नावा बाजार प्यारेपुर रोड मुर्गी फार्म के यहां से दिनांक 25.11.2023 को रात्रि के करीब 08:30 बजे हम दोनों आदमी चोरी किये थे, मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव द्वारा विवेचना किट से मिलान करने पर उक्त मोटर साइकिल थाने की मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित पाया गया और चोरी के सम्बन्ध में अन्य बातें बतायी तथा रोहित गुप्ता से पूछने पर बताया कि दिनांक 15.11.2023 को ग्राम निभियहवा जैतपुर से एक मोटर साइकिल से रात में शादी पार्टी के दौरान चोरी किये थे जो मेरे घर पर है, जिसका नम्बर UP 45 Z 9195 है, यह गाड़ी स्पलेंडर प्लस है। तथा ग्राम रोहन पारा विद्यालय से ताला तोड़कर तराजू, बाट, पंखा, समर सेबल पन्प, गैस सेलेंडर गेहू व चावल भी चुराये थे, जिसे आपस मे बाट लिये थे तथा अन्य सामान कबाड़ खरीदने वाले फेरी को दे दिये थे अन्य बातें भी बतायी। विवेचक किट से मिलान करने पर उक्त चोरी का समान थाने की मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 से सम्बन्धित पाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 277/2023 से सम्बन्धित वाहन की बरामदगी हेतु अभियुक्त रोहित गुप्ता व हमराही लालजी पाल को साथ लेकर रोहित गुप्ता के घर गया और रोहित गुप्ता द्वारा चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी गयी। रात अधिक होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सकता। अभियुक्तगणों को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उन्हें समय 02:45 बजे मेरे द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मेमों व फर्द

बरामदगी मेरे द्वारा मौके पर टार्च व मोटर साइकिल की रोशनी में तैयार की गयी, फर्द पर हम पुलिस कर्मीयों के साथ–साथ अभियुक्त ने भी अपने हस्ताक्षर बनाये, फर्द की एक प्रति रोहित गुप्ता को दी गयी। शामित पत्रावली फर्द बरामदगी पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया है, दिनांक 08.12.2023 को पर्चा नं० 14 में फर्द के साक्षी उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव, हे०का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह का बयान अंकित किया, निरीक्षक राम सुमेर यादव के निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे में तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया तत्पश्चात् अभियुक्त सूर्यभान के सम्बन्ध में उसकी जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया, तमामी विवेचना, पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चो, बयान साक्षीगण इत्यादि के आधार पर मैंने मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता व सूर्यभान के विरूद्ध धारा 380,411,413 भा०दं०स० में आरोप पत्र अपने हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 4 डाला गया।''

18. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 3 सुनील दत्त उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, '' मैं दिनांक 10.08.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, थाना कार्यालय से उपरोक्त मुकदमें के सम्बन्ध में प्रपत्र मुझे प्राप्त हुए, उसी दिन दिनांक 10.08.2023 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन करते हुए संलग्न सी०डी० किया तथा थाने पर कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हे०मु० हरिश्चन्द्र का बयान अंकित किया, दिनांक 11.08.2023 को पर्चा नं० 2 में वादिनी निशात फात्मा का बयान अंकित किया और उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। दिनांक 13.08.2023 को पर्चा नं० 3 में अग्रिम विवेचना थाने के उपनिरीक्षक सुजीत कुमार सिंह द्वारा किये जाने का कथन अंकित किया। साक्षी ने शामिल पत्रावली नक्शा नजरी पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 5 डाला गया।''

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 4 हरिश्चन्द्र हे0कां0** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि,

''मैं दिनांक 10.08.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) में हे० मु० के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादिनी मुकदमा निशात फात्मा के लिखित तहरीर व थाना प्रभारी के लिखित आदेश पर मैंने थाने के सी०सी०टी०एन०एस० से बोल–बोल कर उपरोक्त मुकदमें की चिक मुकदमा अपराध संख्या 196ध्2023 अन्तर्गत धारा 380 भा०दं०सं० बनाम अज्ञात चोर समय 17:05 बजे पंजीकृत कराया था। जिसकी कायमी थाने की नकल रपट संख्या 35 समय 17:05 बजे दिनांक 10.08.2023 को दर्ज की गयी थी, शामिल पत्रावली चिक व कायमी को मैं तस्दीक करता हूँ चिक पर प्रदर्श क 5 व कायमी पर प्रदर्श क 6 डाला गया। मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

20. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 5 रामसुमेर यादव उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं दिनांक 30.11.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर में बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। दिनांक 30.11.2023 को थाने की नकल रपट संख्या 3 समय 01:05 पर मैं उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार के साथ थाने के अन्य सिपाही हेड० का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह के साथ थाना से खाना होकर रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायाम करते हुए यादव नगर तिराहा के पास थे, हम पुलिस वाले आपस में चोरी की घटना व चोरों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर सूचना किया कि साहब दो व्यक्ति अज्ञात मोटर साइकिल नं० UP45P 7571 हीरो होण्डा प्लस से है, जिनके पास चोरी करने वाल उपकरण पिलास, रिच, सलाई रिंच तथा सीसा काटने का औजार तथा लोहे को छोटा सा सब्बल आदि लिये है, लगता है कि कही चोरी करने की योजना हेतु फिराक में है, जो बसोहरी पुल के उस पार है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर इत्मिनान हुए की हम लोगो के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, मुखबिर को लेकर बसोहरी पुल के पास पहुंचे। मोटर साइकिल की रोशनी में दो व्यक्ति पुल के उस पार खडे दिखायी दिये। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर उन व्यक्तियों के पास पहुंचे। हम पुलिस वालों को देखकर मुल्जिमान भागने लगे जिनको दस–पन्द्रह कदम की दूरी पर घेर कर पकड़ दिया गया। नियमानुसार नाम व पता पूछने व जामातलाशी लेने पर एक ने अपना नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी

तेलियागढ़, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामातलाशी के दौरान उसके दाहिने जेब से रूपये बरामद हुए और पैंट के फेट से उपकरण बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर थाना गोसाईगंज, जनपद– अयोध्या बताया, जामातलाशी के दौरान उसके पास से भी रूपया बरामद हुआ व अन्य उपकरण भी बरामद हुए। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं बता सकता। दोनों व्यक्तियों से बरामद उपकरण मोटर साइकिल व रूपये के बारे में कड़ाई से पूछने पर बताया की हम लोग स्कूल, भीड–भाड़ वाले क्षेत्र, शादी इत्यादि में पहुंचकर चोरी कर लेते है और चोरी से प्राप्त समानों को राह चलते किसी को बेच देते है उससे जो रूपया मिलता है उसे मौज मस्ती में खर्च कर देते है और अपना घर चलाते है तथा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित जेवरात, रूपये चोरी करने की बात बतायी थी और यह भी बताया था कि रूपया खर्च हो गया है तथा जेवरात राह चलते लोगों को बेच दिया है प्राप्त रूपया भी घर के खर्चे इत्यादि में खर्च हो गया है, इत्यादि बाते बतायी थी। नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिला, अभियुक्तगण के पास से 2150 व 1860 रूपया बरामद हुआ था, अभियुक्तगणों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया। बरामद उपकरण की फर्द तैयार की गयी रूपये की चिट बंदी की गयी, बरामद मोटरसाइकिल के वाहन स्वामी को सूचना दिया गया। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार द्वारा लिखी गयी थी। फर्द पर मैंने भी अपने हस्ताक्षर बनाये जो शामिल पत्रावली है जिसे मैं तस्दीक करता हूॅं जिस पर प्रदर्श क–2 पूर्व में डाला गया है। उक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

21. अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उनका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्तगण पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु साक्षी **पी. डब्लू.1 के रूप में निशात फात्मा** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''मैं दिनांक 01.08.2023 को उपरोक्त पद व स्थान पर कार्यरत थी। उस दिन जब मैं प्रातः उक्त विद्यालय में 07:45 पर पहुंची

और गेट का ताला खोला तो देखा कि कक्षा 1 व कक्षा 2 तथा किचन व स्टोर का ताला टूटा हुआ था एवं दरवाजे की कुण्डी कटी हुई थी। कक्षा 1 व कक्षा 2 के कमरे में लगे पंखे व विद्यालय में लगा समर सेबल पंप का स्टाटर किचन में रखा गैस सिलेण्डर तथा स्टोर के कमरे रखा गया एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूँ, तराजू, बाट, भगौना व अन्य छोटे–छोटे बर्तन चोरी करके चोर उठा ले गये थे जिसकी सूचना मैंने तुरन्त 112 नम्बर की पुलिस को फोन करके बताया और थाने पर भी जाकर मौखिक रूप से सूचना दिया। थाने की पुलिस जांच करने के पश्चात् कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और कई दिनों तक मुझे थाने पर बुलाती रही तब मैंने आनलाइन शिकायत किया तब स्थानीय थाने की पुलिस मुझे बुलाई और प्रार्थना पत्र देने को कहा तब मैंने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में दिनांक 10.08.2023 को दिया जिस पर मेरी रिपोर्ट उसी दिन स्थानीय थाना अहिरौली, जनपद – अम्बेडकरनगर की पुलिस ने दर्ज किया। शामिल पत्रावली तहरीर कागज संख्या 4 अ/4 को साक्षी ने पुष्ट किया जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ किया था मैंने उन्हें घटना स्थल भी दिखाया था जिसके आधार पर विवेचक ने घटना स्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया था बाद में मुझे जानकारी हुई कि उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान ने मिलकर मेरे उक्त विद्यालय में चोरी किये थे। उक्त चोरों ने विद्यालय से चुराया गया सामान बेच दिया था उनके पास से सामान बेचने के पश्चात् जो रूपया मिला था उसी में से कुछ रूपया पुलिस वालों ने उपरोक्त मुल्जिमनों के पास से बरामद किया था।''

इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस साक्षी ने किसी अभियुक्त को सामान चोरी करते हुए अपनी ऑखों से नहीं देखा है और न ही उसके सामने कोई बरामदगी ही हुई है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांक 01.08.2023 को प्राथमिक विद्यालय रोहनपारा, शिक्षा क्षेत्र भीटी, जनपद –अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थी। यह विद्यालय अहिरौली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। दिनांक 31.07.2023 को विद्यालय खुला था। मेरे अलावा मेरे विद्यालय में कुल छः अध्यापक है। विद्यालय में इन शिक्षकों के अलावा खाना बनाने वाले तीन रसोईया भी है। बर्तनों के देखभाल की जिम्मेदारी दिन में रसोईयों की रहती है। सभी रसोईया दिन में बर्तन वगैरह

रखकर एक बजे चले जाते है। मेरे विद्यालय में कुछ छः कमरे, एक रसोई घर व एक स्टोर रूम है। बर्तन रसोईघर में रखे जाते है। रूपये–पैसे विद्यालय में छोड़कर हम लोग नहीं जाते है। **दिनाक 01.08.2023 को सुबह विद्यालय जाने पर पता चला कि मेरे विद्यालय में चोरी हुई है।** मैं पहले 112 नम्बर की पुलिस को फोन किया था। मैं विद्यालय बन्द करने के बाद थाने गयी थी। मैं थाने दिन के ढाई–तीन बजे पहुंची थी। उस दिन मैंने थाने में मैखिक सूचना दी थी। मैंने लिखित सूचना थाने पर दिनांक 10.08.2023 को दी थी। मैंने दिनांक 08.08.2023 को आनलाइन सूचना दी थी। आनलाइन सूचना देने के दरोगा जी मेरे विद्यालय आये थे। **मैंने मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया था।** मुकदमा दर्ज कराने के बाद दिनांक 11.08.2023 व 16.08.2023 को दरोगा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। **दरोगा जी ने मेरी मुल्जिमों से कोई शिनाख्त परेड नहीं करायी थी। चोरी का कोई सामान दरोगा जी द्वारा बरामद नहीं किया गया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान रोहित गुप्ता व सूर्यभान को मैं पहली बार देख रही हूँ।......यह कहना सही है कि दरोगा जी ने चोरी का कोई सामान बरामद नहीं किया था।** '' इसप्रकार स्वंय वादिनी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था अर्थात उसने किसी को चोरी करते हुए स्वंय नहीं देखा था। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि दरोगा जी ने मुल्जिमानों का कोई शिनाख्त परेड नहीं कराया था और न ही चोरी का कोई सामान ही दरोगा जी ने बरामद किया था। मुल्जिमान को वह नहीं जानती है। इसप्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि उसने मुल्जिमानों को चोरी करते हुए नहीं देखा है और न ही पुलिस ने उसके सामने कोई चोरी का सामान बरामद किया और न ही प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया कोई सामान ही पुलिस ने अभियुक्तगण के पास से बरामद किया है और न ही मुल्जिमानों का शिनाख्त कार्यवाही ही कराया गया है। इसप्रकार वादिनी मुकदमा के साक्ष्य से अभियोजन कथानक सम्पुष्ट नहीं होता है।

अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू.2 के रूप में प्रमोद कुमार खरवार उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांक 16.09.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था उस दिन थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, दिनांक 17.09.2023 को मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, उसी दिन पर्चा नं० 10 किता

किया जिसमें विवेचना ग्रहण करने व पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया, दिनाक 18.10.2023 को पर्चा नं० 11 व दिनांक 17.11.2023 को पर्चा नं० 12 में पतारसी–सुरागरसी किया, दिनांक 30.11.2023 को पर्चा नं० 13 किता किया, जिसमें फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया, अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास भी प्राप्त कर संलग्न सी०डी० किया तत्पश्चात् अभियुक्त रोहित गुप्ता व सूर्यभान का नियमानुसार बयान अंकित किया तथा न्यायालय से रिमाण्ड प्राप्त किया, दिनांक 30.11.2023 मैं अपने हमराहियों के साथ थाने की नकल रपट संख्या 03 समय 01:05 बजे थाने से खाना होकर रात्रि गस्त रोकथान जुर्म जरायम करते हुए यादव नगर तिराहे के पास पहुंच कर आपस में बात–चीत कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति अज्ञात एक मोटर साइकिल UP45 P 7571 Hero Honda Plus से बसोहरी पुल के उस पार दाहिने तरफ किनारे रूके है, तथा उनके पास चोरी करने का उपकरण प्लास रिच, सलाई रिंच व लोहे का सब्बल आदि रखे है, ऐसा लग रहा है कि कही चोरी करने की फिराक में है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इतमिनाम हो गये कि हम लोगों के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर अपने–अपने मोटर साइकिल से उसके बताये हुए रास्ते पर चलकर जैसे ही हम लोग बसोहरी पुल के पास पहुंचे तो मोटर साइकिल की रोशनी में पुल के उस पास खड़े दिखायी दिये, मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वहीं व्यक्ति है जो चोरी करने की योजना बना रहा है, हम पुलिस वालें अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर अचानक उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो एक ने कहा कि पुलिस आ गयी भागों कि एक बार दबिश देकर धेर मारकर बसोहरी पुल से मिझौडा मिल रोड पर 10–20 कदम की दूरी पर पकड लिया गया। **पकड़े हुए व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो एक ने अपने नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी०जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जिसके पहले पैंट की फेट में एक अदद प्लास दाहिने जेब से 2150 रूपया बरामद हुआ, दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू उम्र 20 साल पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामा तलाशी के दौरान पहने हुए काली रंग के जाकेट के दाहिने जेब से सीसा काटने का औजार तथा एक अदद छोटा रिंच बरामद हुआ, तथा दाहिने जेब से 1860 रूपया बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल** UP45 P

7571 की डिग्गी की तलाशी से एक अदद सलाई रिंच 250 mm 10 नम्बर तथा 1 अदद सात अंगुल का सरिया जो छेनी की आकार का तथा करीब 1.5 फीट लोहे का सब्बल बरामद हुआ। गाडी का कागज व डी०एल० मागने पर दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि हम लोग गांव में तथा स्कूल आबादी व भीड–भाड क्षेत्र तथा शादी आदि में मोटर साइकिल व अन्य सामान चोरी कर लेते है तथा चलते फिरते राहगिरों व अंजान व्यक्ति कबाडी फेरी लगाने वाले के हाथ बेच देते है तथा उससे जो पैसा मिलता है, हम लोग आपस में बराबर–बराबर बांटकर ले लेते है तथा उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते है व मौज मस्ती करते है। आप लोग हम लोगों को कुछ मत कीजिएगा, हम लोग जहां–जहां चोरी किये है सब बता देंगे। बरामद मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब यह मोटर साइकिल हम दोनों आदमी अन्नावा बाजार प्यारेपुर रोड मुर्गी फार्म के यहां से दिनांक 25.11.2023 को रात्रि के करीब 08:30 बजे हम दोनों आदमी चोरी किये थे, मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव द्वारा विवेचना किट से मिलान करने पर उक्त मोटर साइकिल थाने की मुकदमा अपराध संख्या 278/2023 से सम्बन्धित पाया गया और चोरी के सम्बन्ध में अन्य बातें बतायी तथा रोहित गुप्ता से पूछने पर बताया कि दिनांक 15.11.2023 को ग्राम निभियहवा जैतपुर से एक मोटर साइकिल से रात में शादी पार्टी के दौरान चोरी किये थे जो मेरे घर पर है, जिसका नम्बर UP 45 Z 9195 है, यह गाडी स्पलेंडर प्लस है। तथा ग्राम रोहन पारा विद्यालय से ताला तोडकर तराजू, बाट, पंखा, समर सेबल पन्प, गैस सेलेंडर गेहू व चावल भी चुराये थे, जिसे आपस मे बाट लिये थे तथा अन्य सामान कबाड़ खरीदने वाले फेरी को दे दिये थे अन्य बातें भी बतायी। विवेचक किट से मिलान करने पर उक्त चोरी का समान थाने की मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 से सम्बन्धित पाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 277/2023 से सम्बन्धित वाहन की बरामदगी हेतु अभियुक्त रोहित गुप्ता व हमराही लालजी पाल को साथ लेकर रोहित गुप्ता के घर गया और रोहित गुप्ता द्वारा चोरी की मोटर साइकिल UP 45 Z 9195 बरामद करायी गयी। रात अधिक होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सकता। अभियुक्तगणों को आधार गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार उन्हें समय 02:45 बजे मेरे द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मेमों व फर्द बरामदगी मेरे द्वारा मौके पर टार्च व मोटर साइकिल की रोशनी में तैयार की गयी,

फर्द पर हम पुलिस कर्मियों के साथ–साथ अभियुक्त ने भी अपने हस्ताक्षर बनाये, फर्द की एक प्रति रोहित गुप्ता को दी गयी। शामित पत्रावली फर्द बरामदगी पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया है, दिनांक 08.12.2023 को पर्चा नं० 14 में फर्द के साक्षी उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव, हे०का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह का बयान अंकित किया, निरीक्षक राम सुमेर यादव के निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है जिसे में तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया तत्पश्चात् अभियुक्त सूर्यभान के सम्बन्ध में उसकी जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया, तमामी विवेचना, पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चो, बयान साक्षीगण इत्यादि के आधार पर मैंने मुकदमें के अभियुक्तगण रोहित गुप्ता व सूर्यभान के विरूद्ध धारा 380,411,413 भा०दं०स० में आरोप पत्र अपने हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 4 डाला गया।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के पास से प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है बल्कि यह कहा गया है कि सामानों को बेचकर उससे बचे पैसे बरामद हुये है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 की विवेचना मुझे दिनाक 16.11.2023 को समय सुबह 10 बजे मिली थी, विवेचना शुरू करने का समय व दिनाक केस डायरी में अंकित किया गया है। विवेचना शुरू करने का समय 12 बजे लिखा है, मैंने किसी भी साक्षी का मजीद बयान नहीं लिया था, मैंने इस मुकदमें की विवेचना पर्चा न० 10 से शुरू किया है यह सही है कि **मैं फर्द बरामदगी का लेखक हूँ, जो कथित मोटर साइकिल की बरामदगी मेरे द्वारा रोहित गुप्ता के घर से बतायी जा रही है उसका पंजीयन संख्या मुझे याद नहीं है।** विवेचना के दौरान मैंने जो मोटर साइकिल रोहित गुप्ता के घर तेलियागढ, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या में बरामद होना बताया गया है उसका कोई नक्शा–नजरी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। **मुकदमा अपराध संख्या 196/2023 में बतौर फर्द तैयार कर्ता साक्षी के रूप में मेरा कोई बयान अंकित नहीं है, क्योकि पहले विवेचक ने मेरे कोई बयान लिया नहीं था और इसकी विवेचना मैंने स्वयं किया था।** मुकदमा अपराध संख्या 277/2023 मेरी उपस्थिति में अंकित हुआ था। इस मुकदमा में की विवेचना मुझे उसी दिन

मिली थी। मुझे विवेचना शुरू करने का तारीख और समय याद नहीं है। मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया था उसमे कोई नामजद नहीं था। में 30.11.2023 को थाने हेतु गस्त हेतु 01 बजकर 05 मिनट पर निकला था, थाने की जी०डी० रात बारह बजे के बाद खुलती है। हम लोग थाने की जी०डी० में अंकित करके निकले थे। मेरे साथ उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव, हे०का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह निकले थे, उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव मेरे साथ के ही है, मेरे बैच मेट है। मैं थाने से यादव नगर की तरफ निकला था, बसोहरी घाट वाला इलाका मुझे आवंटित नहीं था। हम लोग मोटर साइकिल से निकले थे। हम लोग अपनी–अपनी मोटर साइकिल से निकले थे। अपना व्यक्तिगत वाहन होने के कारण मैंने फर्द बरामदगी में किसी वाहन का उल्लेख नहीं है। **बरामदशुदा कोई सामान आज न्यायालय में मेरे समक्ष नहीं है।** अहिरौली थाना से यादव नगर लगभग 5 कि०मी० है। यादव नगर से बसोहरी घाट डेढ से दो० कि०मी० है, यादव नगर से मुखबिर मुझ उत्तर दिशा में बसोहरी पुल पर ले गया था। हम लोग बसोहरी पुल पर रात के लगभग दो बजे पहुंचे थे। सारी लिखा–पढी बसोहरी पुल पर ही हुई थी, टार्च की रोशनी में व मोटर साइकिल की रोशनी में। मैं रोहित गुप्ता के घर गोसाईगंज गया था। किसी दूसरे जिले में जाने के लिए उच्च अधिकारीयों की अनुमति लेनी पड़ती है लेकिन सटा जिला होने के कारण मैंने अनुमति नहीं ली थी। जो दूसरी मोटर साइकिल का बरामद होना रोहित गुप्ता के घर से बताया गया है उसका कोई नजरी नक्शा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही रोहित गुप्ता के परिवार के किसी सदस्य या आस–पडोस के किसी व्यक्ति का कोई बयान लिया गया है। रोहित गुप्ता का घर तेलियागढ चौराहे पर है, काफी भीड़–भाड का इलाका है। तेलियागढ गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, मैंने गोसाईगंज थाने के किसी भी पुलिस की कोई मदद मैंने नहीं लिया था और न ही कोई लिखित सूचना ही दिया था। मुल्जिम सूर्यभान के सम्बन्ध में खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के दूसरे दिन में सूर्यभाग के घर गया था, जब से मुखबिर ने सूचना दिया था तब से फर्द लिखने में मुझे कुल 75 मिनट का समय लिखा था, सभी मुकदमों की फर्द एक साथ लिखी गयी थी, परन्तु बरामदगी अलग–अलग जगह पर हुई थी। फर्द मैंने दो प्रति में तैयार किया था। फर्द की प्रथम प्रति शामिल पत्रावली है एवं द्वितीय प्रति एक अभियुक्त को दी गयी थी। प्रति रोहित गुप्ता को दी गयी थी, सूर्यभान को नहीं दी गयी थी। हवालात दाखिला के समय मुल्जिमो की

जामातलाशी नहीं हुई, क्योकि उनकी जामातलाशी पहले ही हो गयी थी। मुल्जिम के पास से सौ–सौ के कितने नोट बरामद हुए, पांच सौ के कितने नोट बरामद हुए थे वह फर्द में अंकित है। चीनी मिल उस समय चल रही है लेकिन जब हम लोग घ ाटना स्थल पर पहुंचे थे उस समय कोई वाहन गन्ना लेकर आ–जा नहीं रहा था। इस मुकदमें की विवेचना भी मैंने की है और फर्द बरामदगी का अंकन भी मेरे द्वारा किया गया है। मुझको विवेचना मुकदमा लिखने के बाद मिला था, लेकिन कब मिला था मुझे याद नहीं है। बैठकर किया है।'' इसप्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण बयान के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्यालय से चोरी गया कोई भी सामान अभियुक्तगण के पास से बरामद नहीं हुआ है। फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है। स्वंय वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि उसके सामने कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही इस घटना से संबंधित कोई सामान बरामद ही किया गया है। इसप्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण ने ही विद्यालय में घुस कर चोरी किया है। अभियुक्तगण के पास से प्रस्तुत घटना से संबंधित कोई सामान भी बरामद नहीं हुआ है।

अभियोजन की ओर से **पी.डब्लू.3 के रूप में सुनील दत्त उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांक 10.08.2023 को थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, थाना प्रभारी के आदेश पर उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे प्राप्त हुई, मैं विवेचना में मशरूफ हुआ, थाना कार्यालय से उपरोक्त मुकदमें के सम्बन्ध में प्रपत्र मुझे प्राप्त हुए, उसी दिन दिनांक 10.08.2023 को पर्चा नं० 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन करते हुए संलग्न सी०डी० किया तथा थाने पर कार्यरत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हे०मु० हरिश्चन्द्र का बयान अंकित किया, दिनांक 11.08.2023 को पर्चा नं० 2 में वादिनी निशात फात्मा का बयान अंकित किया और उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। दिनांक 13.08.2023 को पर्चा नं० 3 में अग्रिम विवेचना थाने के उपनिरीक्षक सुजीत कुमार सिंह द्वारा किये जाने का कथन अंकित किया। साक्षी ने शामिल पत्रावली नक्शा नजरी पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क 5 डाला गया।'' इसप्रकार इस साक्षी ने अपने बयान में नक्शा नजरी घटनास्थल को साबित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–**''मैं वादी मुकदमा का बयान लिया था व घटनास्थल का निरीक्षण किया था। यह मुकदमा अज्ञात में दर्ज हुआ था। मेरे द्वारा इस मुकदमें के मुल्जिम को गिरफतार नहीं किया गया था इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इस मुकदमें में अभियुक्त कौन था। मेरे द्वारा जो बयान लिया गया था उसमें किसी के द्वारा यह नहीं बताया गया था कि किसके द्वारा चोरी की गयी थी।''** इसप्रकार इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मुकदमा अज्ञात में दर्ज हुआ था और उसने किसी मुल्जिम को गिरफतार नहीं किया था और न ही किसी के द्वारा उसे यह बताया गया था कि चोरी किसने किया था। इसप्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना को अभियुक्तगण ने अंदाज दिया हो।

अभियोजन द्वारा **साक्षी पी.डब्लू.4 के रूप में हे0मु0 हरिश्चन्द्र** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–5 व कायमी जी.डी.को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

साक्षी **पी.डब्लू.5 के रूप में रामसुमेर यादव उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''मैं दिनांक 30.11.2023 को थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर में बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। दिनांक 30.11.2023 को थाने की नकल रपट संख्या 3 समय 01:05 पर मैं उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार के साथ थाने के अन्य सिपाही हेड० का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह के साथ थाना से खाना होकर रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायाम करते हुए यादव नगर तिराहा के पास थे, हम पुलिस वाले आपस में चोरी की घटना व चोरों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर सूचना किया कि साहब दो व्यक्ति अज्ञात मोटर साइकिल नं० UP45P 7571 हीरो होण्डा प्लस से है, जिनके पास चोरी करने वाल उपकरण पिलास, रिच, सलाई रिंच तथा सीसा काटने का औजार तथा लोहे को छोटा सा सब्बल आदि लिये है, लगता है कि कही चोरी करने की योजना हेतु फिराक में है, जो बसोहरी पुल के उस पार है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले आपस में एक–दूसरे की जामातलाशी ले देकर इत्मिनान हुए की हम लोगो के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है, मुखबिर को लेकर बसोहरी पुल

के पास पहुंचे। मोटर साइकिल की रोशनी में दो व्यक्ति पुल के उस पार खडे दिखायी दिये। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल की रफ्तार तेज कर उन व्यक्तियों के पास पहुंचे। **हम पुलिस वालों को देखकर मुल्जिमान भागने लगे जिनको दस–पन्द्रह कदम की दूरी पर घेर कर पकड़ दिया गया। नियमानुसार नाम व पता पूछने व जामातलाशी लेने पर एक ने अपना नाम रोहित गुप्ता उर्फ राजन डी० जे० पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी तेलियागढ़, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया। जामातलाशी के दौरान उसके दाहिने जेब से रूपये बरामद हुए और पैंट के फेट से उपकरण बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम सूर्यभान उर्फ डब्लू पुत्र राम उजागिर निवासी दारापुर किशुनीपुर थाना गोसाईगंज, जनपद– अयोध्या बताया, जामातलाशी के दौरान उसके पास से भी रूपया बरामद हुआ व अन्य उपकरण भी बरामद हुए। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं बता सकता। दोनों व्यक्तियों से बरामद उपकरण मोटर साइकिल व रूपये के बारे में कड़ाई से पूछने पर बताया की हम लोग स्कूल, भीड–भाड़ वाले क्षेत्र, शादी इत्यादि में पहुंचकर चोरी कर लेते है और चोरी से प्राप्त समानों को राह चलते किसी को बेच देते है उससे जो रूपया मिलता है उसे मौज मस्ती में खर्च कर देते है और अपना घर चलाते है तथा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित जेवरात, रूपये चोरी करने की बात बतायी थी और यह भी बताया था कि रूपया खर्च हो गया है तथा जेवरात राह चलते लोगों को बेच दिया है प्राप्त रूपया भी घर के खर्चे इत्यादि में खर्च हो गया है, इत्यादि बाते बतायी थी। नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिला, अभियुक्तगण के पास से 2150 व 1860 रूपया बरामद हुआ था, अभियुक्तगणों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया।** बरामद उपकरण की फर्द तैयार की गयी रूपये की चिट बंदी की गयी, बरामद मोटरसाइकिल के वाहन स्वामी को सूचना दिया गया। फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार द्वारा लिखी गयी थी। फर्द पर मैंने भी अपने हस्ताक्षर बनाये जो शामिल पत्रावली है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 पूर्व में डाला गया है। उक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के पास से चोरी की मोटर साइकिल व रूपये बरामद हुये थे। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित कोई माल अभियुक्तगण के पास से बरामद नहीं हुये थे मात्र यह कथन किया गया है कि उक्त चोरी के माल को बेचने से बचे हुए रूपये बरामद हुये थे।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''दिनांक 30.11.2023 को मेरी रवानगी देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त चेकिंग तलाशवाछितः वारंटी मे स्वाना होकर मामूर था। मेरी रवानगी 1 बजकर कुछ मिनट पर हुई थी। मेरी रवानगी भोर में हुई थी, मेरी रवानगी प्रमोद कुमार खरवार के हमराह मय उपनिरीक्षक राम सुमेर यादव, हे०का० लालजी पाल, का० दीपक सिंह के साथ हुई थी। हम लोगों की रवानगी अपने अपने निजी मोटर साइकिल से हुई थी, दो मोटर साइकिल थी, मेरी मोटर साइकिल पर का० दीपक बैठे थे, दूसरी मोटर साइकिल पर हे०का० लालजी पाल बैठे थे। प्रमोद खरवार अपनी ही मोटर साइकिल से गये थे जिस पर हे०का० लालजी पाल बैठे थे। मैं अपनी मोटर साइकिल स्वयं चला रहा था, दूसरी मोटर साइकिल प्रमोद कुमार खरवार चला रहे थे, मेरी मोटर साइकिल का नम्बर UP 56 AP 0162 है, जो दूरी मोटर साइकिल मेरे साथ थी उसका नम्बर मुझे नहीं मालूम है। मेरे साथ कोई असलहा नहीं था। जो मेरे हमराही थे उनके पास भी असलहा नहीं था, रवानगी के आधे घण्टे बाद मुखबिर खास मिला था। मुखबिर खास जहां पर मिला था वहां से थाने की दूरी चार कि०मी० है, चार कि०मी० जाने में दस मिनट लगता है, हम लोग यादव नगर तिराहे पर मौजूद थे मुखबिर खास अचानक से मिला था पहले से मुखबिर खास के मिलने की कोई सूचना नहीं थी। मुखबिर खास मोटर साइकिल से था। मुखबिर खास का नाम मैं नहीं बता सकता। मुखबिर खास लगभग डेढ़ बजे के आसपास मिला था इसके बाद हम लोग बसोहरी पुल के पास गये। हम लोग बसोहरी के पास लगभग 10 मिनट पर पहुंचे थे, बसोहरी पुल से दूरी लगभग 3 कि०मी० है, **बसोहरी पुल के पास मुल्जिमान पहले से खड़े थे, हम लोग जब पहुंचे तो मुल्जिमान अपनी मोटर साइकिल से भागने का प्रयास किये हम लोग पकड़ लिये, मैंने किसको पकड़ा मुझे इस समय याद नहीं है।** मुल्जिमान एक मोटर साइकिल से थे। मुल्जिमान सडक के उत्तर तरफ खडे थे जो सडक मिझौडा की तरफ जाती है। मुखबिर खास जब मिला था तो लगभग 2 मिनट तक बातचीत हुई। हम लोगों के साथ ही मुखबिर खास वहां पर गये थे, मुखबिर खास ने नाम नहीं बताया था, संदिग्ध व्यक्ति बताया था। मुखबिर खास ने बताया था उनके पास संदिग्ध वस्तु है, मुखबिर खास को जानकारी थी कि जो व्यक्ति संदिग्ध खड़े है उनके पास चोरी का सामान है, मुखबिर खास ने मुझे बताया था कि संदिग्ध व्यक्तियों के पास सब्बल, दो सलाई रिंच, सीसा काटने का समान और एक पिलास है। जामा तलाशी में उपरोक्त

समान व चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुआ था। पहुंचने के बाद मोटर साइकिल के नम्बर को ट्रेश किया गया तो अन्नावां प्यारेपुर मार्ग पर मुर्गीफार्म से चोरी की गयी मोटर साइकिल अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामद हुयी। मुझे वहीं जानकारी हो गयी कि मोटर साइकिल चोरी के मुकदमें में है। .... **अभियुक्तगणों की जामा तलाशी लेने के पहले मैंने किसी भी राजपत्रित अधिकारी या उच्च अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दिया था।** आप द्वारा मुल्जिमानों की जामा तलाशी ली गयी थी। रोहित के पास से पिलास, सलाई स्थि, व इक्कीस सौ कुछ रूपये बरामद हुए थे। पिलास और सलाई रिच मोटर साइकिल की डिग्गी से बरामद हुआ था, इक्कीस सौ कुछ रूपये पैट के दाहिने जेब से बरामद हुआ था, इसके अलावा रोहित के पास से और कोई समान नहीं मिला था। अभियुक्त सूर्यभान उर्फ डब्लू के पास से सीसा काटने औजार व सब्बल बरामद हुआ था. सीसा काटने का औजार उसके जेब से मिला और सब्बल मोटर साइकिल की डिब्बी से मिला था। सीस काटने का औजार पैट बाये जेब से मिला था, अभियुक्त सूर्यभान के पास से सोलह सौ साठ रूपया भी बरामद हुआ था। अभियुक्त सूर्यभान के पैंट के दाहिने जेब से सोलह सौ साठ रूपया मिला था। यह दोनों अभियुक्त पैट ही पहने थे। किस रंग का पैंट पहने थे इस समय याद नहीं है। जामा तलाशी हम लोग रोड पर ही ले रहे थे। जब मेरी जामा तलाशी हुई थी तब मेरे पास अपने परिचय पत्र के अलावा चार–पांच सौ रूपये थे, मेरी निजी मोबाइल भी थी। मुल्जिमान की जामा तलाशी के दौरान मुल्जिमान के पास से मोबाइल नहीं मिला था। जामा तलाशी में दो चार मिनट लगा था। रात्रि के डेढ बज रहे थे। मैंने अपने हमराही दीपक की जामा तलाशी लिया था, दीपक के पास से उनके परिचय पत्र व मोबाइल मिला था, दीपक ने मेरी जामा तलाशी हुई थी। **मुझे याद नहीं है कि किस अभियुक्तगण के पास से कितने कितने की नोटे बरामद हुई थी। जामा तलाशी लेने के बाद बरामद माल को सील किया गया था।** सील करने का सामान मेरे पहले से मौजूद था। सभी सामान अलग अलग कपड़ों में सील किया गया था। सील मेरे द्वारा नहीं किया गया था। बरामद सामान चार कपड़ो में अलग अलग सील किया गया था। मेरे सामने सब सील किया गया था। उस कपडे पर लिखा–पढी किया गया, मेरे द्वारा नहीं किया गया था, उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार खरवार के द्वारा किया गया था, सील किये जाने वाले कपड़े पर मैंने हस्ताक्षर किया था। उस कपडे पर प्रमोद कुमार खरवार भी हस्ताक्षर किये थे। अन्य हमराही हस्ताक्षर किये थे कि नहीं मुझे इस समय याद नहीं है, मुल्जिमान भी अपना

हस्ताक्षर किये थे। पहले फर्द लिखी गयी इसके बाद माल सील किया गया। फर्द प्रमोद कुमार खरवार द्वारा लिखी गयी थी। फर्द पर फर्द लिखने का समय व समाप्त करने का समय नहीं लिखा गया है, फर्द लिखने में दस बारह मिनट लगा होगा। फर्द मौके पर मोटर साइकिल की सीट पर रखकर टार्च की रोशनी में लिखी गयी थी, फर्द लिखने के समय अंधेरी रात थी। ठंडी का महीना था। फर्द लिखने के बाद अभियुक्त रोहित के घर से दूसरी मोटर साइकिल बरामद किया, फर्द कि सारा लिखा–पढी घटना स्थल पर की गयी और फर्द पर सभी लोग मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाये थे। सभी लोगों ने बरामदगी स्थल पर ही हस्ताक्षर बनाये थे। रोहित के घर कोई लिखा–पढी जहां मोटर साइकिल मिली वहा पर हम लोगों द्वारा कोई लिखा–पढी नहीं की गयी। रोहित के घर जब हम लोग पहुंचे तो रात के एक बजकर पैतीस चालीस मिनट हो रहा था। रोहित के घर उसके घर वाले भी मौजूद रहे। उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं किये थे। हम लोग मोटर साइकिल लेकर थाने चले आये। हम लोग लगभग ढाई बजे थाने आये थे, घटना स्थल से रोहित का घर छः से सात कि०मी० की दूरी पर है।'' इसप्रकार इस साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित चोरी गया कोई भी सामान अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद होना नहीं बताया गया है मात्र रूपये बरामद होना व मोटर साइकिल बरामद होना गया है। फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही फर्द को साबित ही कराया गया है।

इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को वादिनी मुकदमा के विद्यालय से कोई सामान चोरी करते हुए किसी साक्षी ने नहीं देखा है और न ही प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया कोई सामान ही अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ है। स्वंय वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में चोरी गया कोई सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही अभियुक्तगण की शिनाख्त कार्यवाही करायी गयी है। फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द साबित नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** व **सूर्यभान उर्फ डब्लू** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–380,411,413 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया

असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण **रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** व **सूर्यभान उर्फ डब्लू धारा–380,411,413, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त** किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे** व **सूर्यभान उर्फ डब्लू** को धारा–**380,411,413 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त सूर्यभान उर्फ डब्लू पूर्व से जमानत पर है। अतः उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त रोहित गुप्ता उर्फ राजन डीजे न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। अतः उसकी रिहाई आदेश अविलम्ब जेल प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण उपरोक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए धारा–437(2)द.प्र.सं. के तहत मु0 20,000/–,20,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करे।

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–30.06.2026

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांकः–30.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067